ब्रिज कैम्प कोर्स (तीन दिवसीय प्रशिक्षण मॉडयूल)

प्रथम दिवस

- ब्रिज कैम्प संचालन सम्बंधी निर्देश पर चर्चा
- प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उद्‌देश्य
- शिक्षा क्या और क्यों ?
- वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का परिचय
- ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उद्‌देश्य
- अनुदेशक की पृष्ठभूमि
- आदर्श अनुदेशक के गुण
- स्थल चयन

दूसरा दिवस

- समुदाय की सहभागिता
- अभिभावकों की सहभागिता
- ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता
- अन्य संस्थाएं
- केन्द्र प्रबन्धन
- प्रशासनिक सहयोग तन्त्र
- बच्चों की स्वच्छता

तृतीय दिवस

- शिक्षण प्रशिक्षण
- शिक्षण अधिगम सामग्री
- हमारी शिक्षण सामग्री
- मूल्यांकन
- कुछ आवश्यक बातें

2 माह का गैर आवासीय ब्रिज कोर्स संचालन हेतु निर्देश

- स्तर
- न्याय पंचायत स्तर पर एक ब्रिज कोर्स शिविर
- **लक्ष्य समूह**

  6 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले/शाला त्यागी न्यूनतम 50 बच्चे।
- **स्थल**

  समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया स्थान
- **अनुदेशक का चयन**

  ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मेरिट के आधार पर (महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाए)।
- **पूर्व तैयारी**
  - ऐसे बच्चों की सूची बनाना जो विद्यालय नहीं जाते हों
  - चिन्हित बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करना तथा विद्यालय न जाने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर लिखित रिपोर्ट तैयार करना।
  - अभिाभावकों की बैठक करना, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ तथा महिला प्रेरक दल के भी सदस्य आमंत्रित किए जाएं तथा चिन्हित बच्चों को ब्रिज कोर्स में नामांकित करने हेतु चर्चा करना।
  - वातावरण सृजन – मीना कैम्पेन, 'अभिभावक बाल मेला' आदि कार्यक्रम आयोजित कर कैम्प के आयोजन का प्रचार–प्रसार करना तथा बच्चों को कैम्प में भेजने हेतु अभिभावकों को जागरूक बनाना।

- **अभिभावक समिति का गठन**

  चिन्हित बच्चों के सक्रिय अभिभावकों को लेकर एक अभिभावक समिति का गठन किया जाए।

- **ब्रिज कोर्स का संचालन** – कैम्प कोर्स – ब्रिज कोर्स 02 माह का गैर आवासीय होगा तथा एक कैम्प में न्यूनतम् 50 शिक्षा वंचित बच्चे होगें। जो इन दो माह में प्रारम्भ के 15 दिन स्कूल रेडीनेस के होंगे तथा शेष डेढ़ महीने में कक्षा 1–2 तक की शिक्षा पूरी कर बच्चों की औपचारिक विद्यालय में 1–2 में नामांकित कराया गायेगा।
- **संचालन का समय** – ब्रिज कोर्स प्रतिदिन छः घण्टे संचालित होगा। (प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक)।
- **नियोजन एवं व्यवस्था** – कैम्प नियोजन एवं व्यवस्था सम्बंधित ए0बी0एस0ए0, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी प्रभारी तथा जनपद स्तर पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक, (वैकल्पिक शिक्षा) करेंगे।
- **मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन** – कैम्प के मॉनीटरिंग एवं सुपरविजन के लिए ब्लाक स्तर पर ए0बी0एस0ए0, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 प्रभारी तथा जनपद स्तर पर विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक, (वैकल्पिक शिक्षा) करेंगें।

- **डाक्यूमेंन्टेशन** – कैम्प के पूर्व तैयारी से संचालन एवं समापन की पूरी प्रक्रिया का विधिवत् डाक्यूमेंन्टेशन ज़िला समन्वयक, (वैकल्पिक शिक्षा)/ संकुल प्रभारी के नेतृत्व में होगा।
- कैम्प के अन्तिम सप्ताह में एक 'अभिभावक बाल मेला' लगाया जाए, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीना फिल्म प्रदर्शन, रैली, नाटक, परिक्रमा आदि कार्यक्रम आयोजित कर अन्तिम दिन बच्चों का दाखिला विद्यालय में करें कि वे अपने बच्चे की शिक्षा पूरी करेगें।
- बजट का रखरखाव एवं व्यय सम्बंधित ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

शिक्षण अधिगम मद में क्रय की जाने वाली सामग्री

(प्रत्येक बच्चे को निम्न सामग्री का एक सेट प्रयोग हेतु दिया जाये)

1. स्लेट (प्रति बच्चा एक)
2. पेंसिल/कटर (प्रति बच्चा तीन)
3. रबर (प्रति बच्चा तीन)
4. कॉपी (200 पन्नों की) (प्रति बच्चा एक)
5. किताबें कक्षा 1 से 2 तक सेट (प्रत्येक बच्चे हेतु)

शिविर हेतु आकस्मिक मद में क्रय की जाने वाली सामग्री

क्र0सं0	बच्चों के वस्तु का नाम	प्रयोग हेतु संख्या	प्रयोग
1.	दर्पण	02	सफाई
2.	कंघा	05	सफाई
3.	तौलिया	02	सफाई
4.	साबुन (लाईफब्वाय)	06	सफाई
5.	साबुन (रिन)	01	सफाई
6.	बाल्टी (प्लास्टिक)	01	पानी पीने हेतु
7.	बैनर	01	प्रचार हेतु
8.	नेलकटर	05	नाखून काटने हेतु
9.	गिलास (स्टील के)	02	पानी निकालने हेतु

प्रथम दिवस

प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्यः–

ब्रिज कैम्प के संचालन के लिए चयनित अनुदेशक प्रायः सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं उनकी कैम्प संचालन एवं शिक्षण कार्य की दक्षता विकसित करने के अलावा प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं :–

- पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक सन्दर्शिका, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं अन्य उपलब्ध सामग्री से अवगत कराना।
- शिक्षण की नवीन विधाओं से अवगत कराना।
- शिक्षा से वंचित बच्चों को प्रेरित कर शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना।
- बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु बाल केन्द्रित गतिविधि आधारित, रूचि पूर्ण शिक्षण विधा से अवगत कराना।
- ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक समिति एवं अन्य स्थानीय समितियों से सहयोग प्राप्त करने हेतु बैठक आयोजित करने के बारे में बताना।
- बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास की विधा से अवगत कराना।
- दक्षता आधारित गुणवत्तापरक शिक्षा की अवधारणा एवं विधा से अवगत कराना।
- सतत् मूल्यांकन के महत्व एवं विधा से अवगत कराना।
- सीखने सिखाने की प्रक्रिया, बाल मनोविज्ञान से परिचय कराना।
- अनुदेशक शिक्षण कार्य करने की दक्षता विकसित करना।
- ग्राम शिक्षा आयोजित करने हेतु, समुदाय से सम्पर्क कर लक्ष्य समूह के केन्द्र जोड़ने हेतु प्रेरित करना, अनुदेशक को एक शिक्षक के रूप में तैयार करना।
- अनुदेशक के रूप में कार्य करने की दक्षता एवं व्यवहारिक निपुणता विकसित करना।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम का परिचय

शिक्षा गारण्टी योजना (EGS)–ऐसे गांव या मजरे जहां एक कि0मी0 की परिधि में कोई परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं एवं 6 से 11 आयुवर्ग के 30 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपलब्ध हैं, वहां शिक्षा से वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा गारण्टी योजना के अर्न्तगत की जाती है। शिक्षा गारण्टी योजना के तहत खोले जाने वाले केन्द्रों को EGS अथवा **विद्या केन्द्र** कहते है एवं केन्द्र के शिक्षक को **आचार्य जी** कहते हैं। विद्या केन्द्र में बच्चों को कक्षा–2 तक की शिक्षा दी जाती है, उसके बाद उन्हें पास के औपचारिक विद्यालयों में नामांकित किया जाता है।

वैकल्पिक शिक्षा (AS)– असेवित वस्तियों के बच्चों के अलावा कुछ बच्चे विषम परिस्थितियों, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रहते हैं या ड्राप आऊट हो जाते हैं। इन कारणों में बालश्रम, बच्चों का छोटे भाई–बहन की देखभाल में समायोजन, मलिन बस्तियों एवं घूमन्तू जाति के बच्चों की उपेक्षा, भौगोलिक कारणों से विद्यालय दूर होना प्रमुख हैं। डी0पी0ई0पी0 के तहत विषम परिस्थितियों के शिक्षा वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए **छः प्रकार** के निम्न माडल बच्चों की अलग–अलग परिस्थितियों को ध्यान में रख कर विकसित किए गए हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के शिक्षक को **अनुदेशक** कहते हैं।

1 **शिक्षा घर** – असेवित बस्तियों एवं ड्राप आऊट 6 से 11 आयुवर्ग के बच्चों विशेषकर बाल श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा का यह माडल संचालित है।

2 **बाल शाला** – जो बच्चे अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल में लगे होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं उनके लिए बालशाला केन्द्र संचालित किये गये हैं। बालशाला में एक अनुदेशक के अलावा एक सहायिका भी रहती है जो 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल करती है तथा शाला पूर्व की गतिविधियां कराती है। 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों को शिक्षा अनुदेशक द्वारा दी जाती है।

3 **प्रहर पाठशाला** – वैकल्पिक शिक्षा का यह माडल 9 से 14 आयुवर्ग की लड़कियों के लिए संचालित किए गए हैं,जो विद्यालय 9 वर्ष की आयु तक नहीं जा सकीं या ड्राप आऊट हो गयी। इसमें बच्चों को अपनी गति से सीखने की स्वतन्त्रता रहती है एवं पाठ्यक्रम को लचीली व्यवस्था में पूरा किया जाता है। प्रहर पाठशाला में स्थानीय शिल्प के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

4 **मकतब मदरसा सुदृढ़ीकरण** – अधिकांश मकतब/मदरसों में मात्र दीनी तालीम दी जाती है। उनमें औपचारिक पाठ्यक्रम लागू करने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक शिक्षा के अर्न्तगत माडल संचालित हैं। इस माडल में मकतब के मोदर्रिस/मौलवी अनुदेशक के रूप में कार्य करते हैं इन्हें भी वैकल्पिक शिक्षा के अन्य माडलों के अनुदेशकों की भांति प्रशिक्षण दिया जाता है। मदरसों में भी अन्य वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की भांति सामग्रियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

5 **ऋषि वैली माडल** – मानक के अनुसार बड़ी संख्या में विकीर्ण बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसी बस्तियों के न्यूनतम 25 बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा का ऋषि वैली माडल संचालित है। ऋषिवैली माडल में अध्ययनरत बच्चों में बिना पाठ्यपुस्तकों के खेल गतिविधियों एवं विशेष रूप से विकसित की गई शिक्षण सामग्री द्वारा कक्षा–2 तक की दक्षता एं विकसित की जाती हैं।

6 **ब्रिजकोर्स** – शिक्षा वंचित बच्चों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाले, कामकाजी बच्चे, आदिवासी बच्चे, जनजाति के बच्चों हेतु अल्प कालीन सेतु पाठ्यक्रम संचालित कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। सेतु पाठ्यक्रम आवासीय एवं अनावासीय दोनो प्रकार से संचालित किये गए हैं। किन्तु मुख्यरूप से 2 माह के अनावासीय सेतु पाठ्यक्रम ही वैकल्पिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित किये जा रहे है।

ब्रिज कोर्स कैम्प की आवश्यकता एवं उद्देश्य

अपने प्रदेश में 51.826 ग्राम पंचायते हैं। इनमें 86361 से अधिक प्राथमिक स्कूल एवं 9343 वैकल्पिक स्कूल खोले गये हैं। लगभग पर्याप्त संख्या में प्राथमिक स्कूल खोले जा चुके हैं फिर भी अभी बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर है। इन बच्चों में प्रमुखरूप से निम्न प्रकार के बच्चे हैं।

1. घूमन्तु जाति के लोगों के बच्चे
2. स्वच्छकार एवं भिखारियों के बच्चे
3. गणिकाओं के बच्चे
4. मलिन बस्ती के ग़रीब घरों के बच्चे

5. परिवार की रोज़ी–रोटी में सहायक बालश्रमिक
6. शिक्षा को गैर ज़रूरी समझने वाले लोगों के बच्चे
7. कुछ क्षेत्रों में बालिकायें एवं अल्पसंख्यकों के बच्चे

उपरोक्त के अलावा कुछ स्थानों पर परम्परागत एवं नीरस शिक्षण ने भी बच्च ों को शिक्षा से वंचित बनाये रखा हैं।

इसके लिए विशेष शैक्षिक प्रयास की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अभियान के रूप में कार्य किया जाय। समुदाय से निरन्तर सम्पर्क कर शिक्षा के प्रति उन्हें मात्र प्रेरित न किया जाय बल्कि माहौल बना कर इसके लिए दबाव भी बनाया जाय। संक्षि प्त समय का सघन पाठ्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाय जो रोचक हो साथ ही दक्षताओं की भी शीघ्र सम्प्राप्ति करायें। इससे बच्चों एवं अभिभावकों में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम के पश्चात बच्चों को औपचारिक विद्यालय से जोड़ा जात ा है। इसे ही सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स नाम दिया गया। डी0पी0ई0पी के तहत निम्नवत् ब्रिज कोर्स संचालित किये गये।

क्रम0	जनपद	ब्रिजकोर्स संचालन स्थल	संचालन तिथि	अवधि
1	ललितपुर	बाला बेहत, विरधा	15 मार्च से 14 जून 99 तक	3 माह
2	मुरादाबाद	▪ टाट कलोनी, वार्ड 45, वारसीनगर ▪ मिलक चकरकी, नगर क्षेत्र	1 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2000 1 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2000	2 माह 2 माह
3	फिरोजाबाद	▪ नगर क्षेत्र, फिरोज़ाबाद ▪ नगर क्षेत्र, फिरोज़ाबाद	1 जून से 31 जुलाई 2000 1 जून से 31 जुलाई 2000	2 माह 2 माह
4	सिद्धार्थनगर	▪ बिस्कोहर, जंगहारा ▪ नगर खेत्र, नौगढ़	1 जून से 31 जुलाई 2001 1 जून से 31 जुलाई 2001	2 माह 2 माह
5	बाराबंकी	▪ पोखरी, अमरसण्डा, बिन्दूर ▪ नयापुरवा, कुर्सी, निन्दूरा ▪ बेहड़ पुरवा, कुर्सी, निन्दूरा ▪ गढ़ अटहरा, निन्दूरा ▪ इस्लामनगर, रसूलपनाह, फतेहगंज ▪ नट बस्ती, ममनपुरवा, बंकी देहात ▪ नट पुरवा सुसवाई, सिद्धौर ▪ नगर पंचायत, सिद्धौर ▪ थरौली, बहुता, त्रिवेदीगंज ▪ मंगतबस्ती, हसनपुर, त्रिवेदगंज ▪ मोमीनपुरवा, बड़ागॉव, मसौली ▪ अलीयनगर, जहांगीराबाद, बंकी।	1 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2000 1 नवम्बर से 30 दिसम्बर 2000 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002 7 जून से 6 अगस्त 2002	2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह 2 माह

सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में ब्रिजकोर्स

वर्तमान में पूरे देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं।

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करें।

उपरोक्त उद्देश्यों के तहत सभी शिक्षा वंचित आउट आफ स्कूल बच्चों को वर्ष 2003 में ही विद्यालय में नामांकित कराये जाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक गैर आवासीय द्विमासिक एवं जनपद स्तर पर छः माह का आवासीय शिविर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षा क्या और क्यों ?

शिक्षा क्या और क्यों के मुद्दे पर बेहतर समझ के लिए जरूरी है कि प्रतिभागियों से भी गहन चर्चा की जाय। उनका नजरिया पता किया जाय। प्रयास यह हो कि सभी प्रतिभागी कम से कम एक वाक्य जरूर बोले –

चर्चा के क्रम में प्रतिभागी सामान्यतः निम्न बाते कहेंगे –

- जीवन यापन के लिए शिक्षा।
- जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए।
- ज्ञान पाने के लिए।
- समाज में सम्मान हेतु।
- नौकरी के लिए।
- मानसिक विकास के लिए।
- सर्वांगींण विकास के लिए।

इन बिन्दुओं के बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षाओं की बाधाओं पर प्रतिभागियों से पूछे कि शिक्षा को सर्वांगींण विकास का साधन माना जाता है तो अब तक सब लोग क्यों नहीं शिक्षित हो गये इसमें क्या बाधायें हैं।

इस मुद्दे पर चर्चा से निम्न बिन्दु आ सकते है –

- गरीबी
- स्कूल दूर होना।
- अरूचि पूर्ण शिक्षा।
- जागरूकता का अभाव।

अनुदेशक की पृष्ठभूमि

- यथासंभव अनुदेशक उसी स्थान एवं समुदाय का व्यक्ति होता है।
- स्थानीय होने के नाते वह गांव की विशेषताओं/स्थानीय समस्याओं को जानता है।
- उसे उन बच्चों की पृष्ठभूमि की जानकारी होती है जो लक्ष्य समूह है।
- समुदाय के विषय में भी विशेष जानकारी रहती है।
- समुदाय के सहयोगी व्यक्तियों की पहचान भी उसे रहती है।

अनुदेशक के कार्य एवं दायित्व

- कैम्प वाले स्थान/समुदाय से परिचित होना।
- लक्ष्य समूह के बच्चों की जानकारी रखना।
- इस हेतु एक पंजिका 'बाल गणना' बनायी जा सकती है ।
- गांव समुदाय में ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाये जो कैम्प संचालन में सहयोग कर सकते हैं।
- समुदाय के सहयोग से कैम्प संचालन हेतु स्थल चयन करना होगा।
- गांव के सामाजिक कार्यो में प्रतिभाग/सहभागिता
- ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में प्रतिभाग।
- अपनी समस्याओं जैसे– सामग्री क्रय, मानदेय वितरण, अन्य शैक्षिक कठिनाइयों की चर्चा कर उनके समाधान खोजने का प्रयास।
- अभिभावकों से लगातार संपर्क कर बच्चों एवं कैम्प के विषय में विचार–विमर्श केन्द्र के सभी बच्चों के शैक्षिक स्तर की जानकारी।
- अभिभावकों की केन्द्र पर बैठक आयोजित करना एवं निम्न बिन्दुओं पर भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करना।

- बच्चों का मूल्यांकन
- केन्द्र में बच्चों की उपस्थिति
- साफ–सुथरा कैम्प स्थल
- बच्चों की स्वच्छता
- राष्ट्रीय पर्व, महापुरूषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर समुदाय को जोड़ना।
- आयोजित होने वाले प्रशिक्षण, कार्यशाला में प्रतिभाग करना।
- कैम्प संचालन संबंधी समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना।
- नवीन शिक्षण विधियों के आधार पर शिक्षण कार्य करना।
- संकुल प्रभारी (NPRC-C) द्वारा अकादमिक सहयोग प्राप्त करना
- कैम्प संचालन हेतु सामग्री का रखरखाव एवं उपयोग।
- बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।
- बच्चों के साथ भेदभाव एवं सहृयदतापूर्ण व्यवहार।
- कैम्प समापन के उपरान्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराना और यह भी जानना कि कोई बच्चा पुनः ड्राप आउट तो नहीं हो रहा है।
- बच्चों को स्थानीय परिवेश की जानकारी हेतु गांव/तालाब/बाग़ दर्शनीय स्थल आदि का भ्रमण कराना।
- केन्द्र संबंधी अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
- बच्चों को खेल/गतिविधियाँ करवाना।
- बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं देश–प्रेम की भावनाओं का विकास करना।

आदर्श अनुदेशकों के गुण

ब्रिज कैम्प के अनुदेशकों में अपेक्षित गुणों से परिचित कराने एवं मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन हेतु यह चर्चा उपयोगी होगी।

प्रतिभागियों से पूछकर लिखें कि एक आदर्श अनुदेशक के क्या गुण होने चाहिए।

चर्चा में निम्न गुण प्रतिभागी बता सकते हैंः–

- समझदार
- अच्छा वक्ता
- समय का पाबन्द
- ईमानदार
- कर्तव्यनिष्ठ
- सहनशील
- चरित्रवान
- अच्छा गायक
- बाल मनोविज्ञान का जानकार
- विषय वस्तु का ज्ञाता आदि

प्रयास द्वारा गुण अर्जित किये जा सकते हैं। यह बात स्पष्ट की जाय कि प्रतिभागियों को आदर्श अनुदेशक के अधिकाधिक गुण स्वयं में विकसित करने के प्रयास करने चाहिये।

द्वितीय दिवस

स्थल चयन

ब्रिज कैम्प हेतु स्थल का चयन करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना होगा :

- स्थल ऐसी जगह हो जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकें।
- स्थल पर बच्चों के बैठने एवं खेलने के लिये पर्याप्त स्थान हो, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था हो।
- स्थल सार्वजनिक एवं विवाद रहित हो।
- स्थल स्वच्छ एवं शांत प्राकृतिक वातावरण में हो।
- बाजार, दुकानों अथवा शोर पैदा करने वाले वातावरण से दूर होना चाहिये।
- कैम्प में स्वच्छ हवा, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। सीलनयुक्त कमरे नहीं होनें चाहिये।
- कड़ी धूप और बरसात से बचने की व्यवस्था हो।

समुदाय की सहभागिता

कैम्प के विधिवत संचालन में समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है।

- समुदाय द्वारा बच्चों को कैम्प में पढ़ने के लिये प्रेरित करना।
- अभिभावकों द्वारा कैम्प संचालन के समय बच्चों से कोई काम न कराना।
- कैम्प जाने हेतु बच्चों को तैयार करना।
- कैम्प हेतु स्थान उपलब्ध कराना।
- कैम्प की गतिविधियों में भाग लेना।

- कैम्प का नियमित संचालन कराना।
- अनुदेशक द्वारा आयोजित बैठक में भागीदारी।
- अनुदेशक के नियमित मानदेय भुगतान में मदद करना।
- बच्चों को सीखने – सिखाने में सहयोग करना।
- कैम्प के बच्चों को दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं स्वल्पाहार की समय से व्यवस्था कराना।
- मूल्यांकन में सहयोग करना।

अभिभावकों की सहभागिता

ब्रिज कैम्प में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास/कार्य किये जा सकते हैं।

- कैम्प पर अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाये।
- उनमें अभिभावकों को आमंत्रित किया जाये।
- प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से लगातार सम्पर्क।
- बच्चों की प्रगति, समस्याओं से उन्हें अवगत कराना।
- अनुदेशकों को सामाजिक कार्यो में अपनी सहभागिता करनी होगी।
- बच्चों के मूल्यांकन में अभिभावक हमारी मद्‌द कर सकते हैं।
- उनको कैम्प में बुलाकर उनके द्वारा कहानी/कविता आदि भी बच्चों को सुनवायी जा सकती है।
- उनके द्वारा कैम्प एवं बच्चों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करायी जा सकती है।
- समय सारणी निर्माण में वे हमारे मद्‌दगार हो सकते हैं।

ग्राम शिक्षा समिति

वी.ई.सी की सहभागिता

ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लेने से पहले उसका स्वरूप जानना ज़रूरी होगा।

ग्राम शिक्षा समिति में 5 पदाधिकारी होते हैं।

ग्राम प्रधान	–	**अध्यक्ष**	
1. ग्राम पंचायत का ज्येष्ठतम् प्रधानाध्यापक	–	सचिव	
2. अभिभावक 2 पुरूष	–	सदस्य	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित
3. अभिभावक 1 महिला	–	सदस्य	

- ग्राम शिक्षा समिति की केन्द्र संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- केन्द्र संचालन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना।
- अनुदेशक का चयन करना
- कुक का चयन
- शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक एवं मानदेय उपलब्ध कराना।
- स्वल्पाहार की व्यवस्था।
- बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में सहयोग देना।
- बच्चों को विद्यालय से जोड़ने में मद्द करना।
- अनुदेशक एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- बच्चों के मूल्यांकन में सतत् मूल्यांकन में सहयोग करना।
- केन्द्र संचालन का पूरा बजट ग्राम शिक्षा समिति को दिया जायेगा। अतः संचालन सम्बंधी समस्त कार्यो हेतु वी०ई०सी० ज़िम्मेदार है।

अन्य संस्थायें (NPRC, BRC, ARG/DRG)

- न्याय पंचायत/ब्लाक समन्वयक, ज़िला संदर्भ समूह एवं डायट तथा ज़िला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों द्वारा समय–समय पर केन्द्र को अकादमिक अनुसमर्थन।
- सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में सहयोग।
- बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु प्रयास करना।

- प्रधानाध्यापको/अध्यापकों द्वारा भी आदर्श पाठ पढ़ाया जाना/ बच्चों को केन्द्र पर लाने में मद्द।
- मूल्यांकन क्यों? और कैसे? अन्य विषयों पर भी मासिक बैठक/प्रशिक्षण आदि में चर्चा।
- स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा केन्द्र को सहयोग।

केन्द्र प्रबन्धन

बच्चों का प्रवेश

कैम्प में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सम्मान एवं उत्साह जनक वातावरण देने का प्रयत्न किया जाये। प्रवेश लेते समय अनुदेशक द्वारा बच्चों के बारे में निम्न जानकारी रखनी होगी।

क्र. सं.	नाम	अभिभावक पिता/माता	जन्मतिथि आयु	शालात्यागी हैं तो		यदि कभी विद्यालय नहीं गया तो विद्यालय न जाने का कारण	वर्तमान में बच्चों का व्यवसाय
				किस कक्षा में शालात्याग किया	किस वर्ष शालात्याग किया		

कैम्प की साज–सज्जा

- कैम्प स्थल की स्वच्छता कैसे ? स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप (समूह में चर्चा)

  कुछ बिन्दु – 1. फर्श की गोबर मिट्टी से लिपाई/झाड़ू से सफाई।

  2. मिट्टी की दीवार को मिट्टी से चिकना करना। 3. पक्की दीवार को चूना इत्यादि से। 4. सूचना पट्ट तथा ब्लैक बोर्ड कालिक/काले अथवा हरे पेण्ट से बनाये जा सकते हैं।

- कक्षा–कक्ष की सज्जा कैसे? स्थानीय उपलब्ध सामग्री का कक्षा–कक्ष की सजावट के लिए उपयोग पर चर्चा।

  कुछ बिन्दु – 1. दीवारों पर गिनती चार्ट, अक्षर चार्ट, शब्द चार्ट, नक्शा इत्यादि टांग कर

  2. बच्चों की रूचि वाली वस्तुएं एवं आकृतियों का उपयोग। जैसे फलों, जानवरों, फूलों, अक्षरों एवं गिनतियों की आकृति चार्ट पेपर से काटकर सजाया जा सकता है।

  3. कक्षा–कक्ष के एक तरफ सभी पाठ्य सामग्री क्रम से सुव्यवस्थित रखा जाना। इसके लिये जूते या कपड़े के दफ्ती वाले डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है।

  (आदर्श प्रस्तुतिकरण प्रशिक्षक द्वारा करके दिखाया जाय)

बच्चों की स्वच्छता कैसे? समूह में चर्चा

- बच्चों में स्वच्छ रहने की आदत का विकास करना
- शरीर की स्वच्छता – दांत, जीभ, नाखून इत्यादि।
- कपड़ों की स्वच्छता
- पाठ्य पुस्तक / अभ्यास पुस्तिकाओं एवं बस्ते की स्वच्छता एवं रखरखाव
- बच्चों को सुव्यवस्थित ढ़ंग से बैठने की आदत डालना।
- केन्द्र के बच्चों को उनकी दक्षता स्तर के अनुसार समूहों में –वृत्ताकार घेरे ; अर्धचन्द्राकार या यू आकृति में बैठाना।

शैक्षिक सामग्री – सूची

अनुदेशक के लिये 1. ब्लैक बोर्ड 2. चाक 3. डस्टर 4. छात्र–उपस्थिति पंजिका 5. अध्यापक उपस्थिति पंजिका 6. स्टाक (भण्डार) पंजिका 7. डायरी 8.प्रवेश पंजिका 9. छात्र मूल्यांकन पंजिका 10.टीन का बक्सा (ताला सहित) 11. मानचित्र– भारत वर्ष, उत्तर प्रदेश जनपद 12.गिनती चार्ट, अक्षर चार्ट।

बच्चों के लिए

1. पाठ्य पुस्तकें, 2.स्केल, 3.पेंसिल चाक, 4 कापी, 5. पेंसिल (ग्रेफाइट) 6.खेल सामग्री–रिंग फुटबाल, रस्सी (कूदने वाली), 7. एवेस्कस (गिनतारा) 8. चटाई प्लास्टिक (6x3) (बैठने के लिये)

अन्य सामग्री – लोटा, बाल्टी, अतिरिक्त चटाई एवं अन्य शैक्षिक तथा केन्द्र हेतु उपयोगी सामग्री ग्रामवासियों द्वारा सहयोग से उपलब्ध करायी जा सकती है।

शिक्षण दक्षता प्रशिक्षण

शिक्षण दक्षता प्रशिक्षण हेतु अनुदेशकों को 'वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण माड्यूल प्रथम चरण' में दिये गये 'सीखने के सिद्धान्त' एवं बच्चों में विषयगत समझ विकास के क्रम का अभ्यास कराया जाये।

वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण माड्यूल प्रथम चरण सभी डायट में भेजा गया था। यदि वर्तमान में उपलब्ध न हो तो इसकी प्रति राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम) – टी.एल.एम निर्माण पर चर्चा

1. प्राकृतिक

2. मानव निर्मित

अनुदेशक द्वारा | छात्रों द्वारा | अनुदेशक एवं छात्र दोनों द्वारा मिलकर

स्व अधिगम सामग्री निर्माण पर चर्चा –

- सहायक सामग्री का उपयोग – प्रदर्शन द्वारा
- सहायक सामग्री निर्माण – 'कबाड़ से जुगाड़' पुस्तक की सहायता ली जा सकती है।
- एक सत्र में निर्माण का अभ्यास कराया जाय।
- सहायक सामग्री के रखरखाव पर कुछ निर्देश/चर्चा।

प्रशासनिक सहयोग तन्त्र

ब्रिज कैम्पों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु जनपद से लेकर ग्राम स्तर तक संचालित तन्त्र के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं–

- **डायट–मेंटर** – स्कूलों की भांति ब्रिज कैम्प को शैक्षिक सपोर्ट देने वाला डायट का प्रतिनिधि व्यक्ति।
- **जिला समन्वयक (वै.शि.)** – जनपद में ब्रिज कैम्प के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रम को शैक्षिक एवं प्रशासनिक सहयोग देना। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु रणनीति एवं व्यवस्था देना।
- **सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी** – विकास खण्ड स्तर पर कैम्प को प्रशासनिक एवं शैक्षिक सहयोग प्रदान करना।
- **ब्लाक समन्वयक/सहसमन्वयक** – ब्लाक स्तर के कैम्प को शैक्षिक सपोर्ट अनुश्रवण एवं कैम्प पर आदर्श पाठों की प्रस्तुतिकरण करना। कैम्प का दस्तावेजीकरण करना।
- **न्याय पंचायत समन्वयक** – केन्द्र का पर्यवेक्षण/ केन्द्र सम्बंधी सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण। केन्द्रों को शैक्षिक सहयोग देना। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण/वातावरण सृजन।
- **प्रधान/प्रधानाध्यापक** – ग्राम सभा में स्थित केन्द्रों के लिये स्थल, पेयजल, शौचालय, छप्पर इत्यादि उपलब्ध करना/सहयोग करना। अनुदेशक का चयन, अनुदेशक का मानदेय वितरण तथा गांव के अभिभावकों को जागरूक कर केन्द्र पर बच्चों को भेजने के लिये प्रेरित करना। बच्चों के लिए गुणवत्तापरक स्वल्पाहार, टी०एल०एम० एवं शिक्षण सामग्री किताबें आदि की व्यवस्था करना। उक्त सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय की जायेगीं।

अभिलेखों का रखरखाव

- **प्रवेश पंजिका** – प्रथम बार प्रवेश लेने वाले बच्चों के बारे में पूरी जानकारी संकलित होगी।
- **छात्र उपस्थिति पंजिका** – प्रतिदिन कक्षा प्रारम्भ करने से पहले छात्रों की उपस्थिति अंकित की जायेगी।

- **आगन्तुक/भ्रमण पंजिका**

अनुदेशक दैनन्दिनी – अनुदेशक प्रतिदिन कक्षा–कक्ष के अन्दर एवं बाहर किये गये कार्यो को लिपिबद्ध करेगा। बच्चों की उपलब्धि को दैनन्दिनी में अंकित करेगा। डायरी में सभी कुछ बहुत विस्तृत न होकर संक्षिप्त एवं संकेतात्मक होगा।

भण्डार पंजिका – परियोजना द्वारा एवं अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री का विवरण एवं संख्या भंण्डार पंजिका में अंकित होगी।

मूल्यांकन/प्रगति पंजिका – सभी छात्रों के सतत् मूल्यांकन, मासिक, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित जानकारी इस पंजिका में अंकित होगी।

तृतीय दिवस

हमारी शिक्षण सामग्री

- सीखने –सिखाने की क्रिया में आप बहुत से उपकरणों की सहायता लेते हैं, जैसे – चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, माडल आदि।
- इन उपकरणों में कुछ तो मुद्रित (यानि छपे हुए) होते हैं और कुछ अमुद्रित।
- इन मुद्रित अमुद्रित सामग्रियों के माध्यम से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में सफल होते हैं।
- दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सफलता पूर्वक ग्रहण करता है।
- इस तरह सीखने–सिखाने की क्रिया में जो वस्तुएं हमारी सहायता करती हैं उन्हें हम शिक्षण सामग्री कहते हैं।
- सीखने–सिखाने की क्रिया में आप भी लगें है। इसलिये आओ कुछ शिक्षण सामग्रियों के बारे में विस्तार से जानें।

पाठ्यक्रम

- पाठ्यक्रम भी एक शिक्षण सामग्री है।
- पाठ्यक्रम में हर कक्षा के लिए सभी विषयों को सीखने सिखाने वाली दक्षताओं का विवरण होता है
- कौन सी दक्षता कितने समय में विकसित किया जाना है। इसका भी उल्लेख पाठ्यक्रम में रहता है।
- हमारें प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिये बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम (1999) प्रकाशित किया गया है।
- इस पाठ्यक्रम में सीखने–सिखाने वाली विषय वस्तु को निम्नवत् दिया गया है–

मातृभाषा –हिन्दी

कक्षा–1

क्र.	कौ□ाल	विषय वस्तु	क्रिया कलाप	मूल्यांकन
1	समझते हुए सुनना तथा बोलना	मातृभाशा हिन्दी की सभी ध्वनियां उनकी पहचान तथा उनमें अन्तर	घर परिवार पशु पक्षी तथा खेल खिलौने	परिचित विषय वस्तु दृश्य आदि पर वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तर कण्ठस्थ कविता, कहानी, चुटकुले सुनना

- पाठ्यक्रम से अपनी बात कहने के नये नये तरीकों तथा गतिविधियों को सोचने समझने की सम्भावनाएं बढ़ती हैं।
- पाठ्यक्रम में बच्चे की कक्षा, उसकी आयु तथा उसके ग्रहण करने की शक्ति–क्षमता के अनुसार विषय वस्तु का विस्तार रहता है।

इसलिये आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व हम अपने पाठ्यक्रम को

निर्देश

- प्रशिक्षण के समय स्कूल, रेडीनेस सम्बंधी साहित्य अनुदेशकों को पढ़ने के लिए दिया जाये।
- प्रशिक्षण के समय पाठ्यक्रम उपलब्ध रहे। प्रतिभागियों के समूह में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाये।
- प्रतिभागियों को कक्षा 2 तक का विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम नोट करा दिया जाये।

चर्चा बिन्दु

- पाठ्यक्रम से हमें क्या जानकारी मिलती है ?
- पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक में क्या अन्तर है ?
- कक्षा–1 मातृभाषा, हिन्दी विषय में कौन–कौन सी दक्षताएं दी गई हैं ?
- कक्षा–2 गणित विषय में कुल कितनी दक्षताएं दी गई हैं ?
- पाठ्यक्रम में विषय का मासिक विभाजन किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक किया गया है?
- मासिक विभाजन की आवश्यकता क्यों है ?

पाठ्य पुस्तकें

- उक्त बिन्दुओं पर चर्चा के बाद आप यह जान गये होंगे कि पाठ्यक्रम में दिये गये विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है।
- कक्षा में हर एक विषय की क्या–क्या बात पढ़ानी है– पाठ्य पुस्तकों में पाया जाता है।
- पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी जाती हैं।
- आप बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की मदद से पढ़ाते हैं।
- पाठ्य पुस्तकें ज्ञानार्जन का एक माध्यम हैं।
- छोटी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम और बड़ी कक्षाओं में अधिक होती जाती है।
- छोटी कक्षाओं में विषय सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।
- पाठ्य पुस्तकों के आकर्षक, रोचक, सरल तथा स्पष्ट होने पर समझने–समझाने में वे अधिक सहायक होती है।

इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को

चूँकि आवासी ब्रिज कैम्प कक्षा–3 तक एवं अनावासीय कक्षा ½ संचालित होगा। यहां पर कक्षा 1 से 3 तक की समस्त पुस्तकों का विवरण हैं।

कक्षावार प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें

कक्षा एक	कक्षा 2	कक्षा 3
1. भाषा किरण एक	1 भाषा किरण भाग–2 2. बाल गणित 2 कक्षा–2	1. भाषा किरण भाग–3 2. बाल गणित कक्षा–3 3 हमारा परिवेश कक्षा–3 4. एलीमेन्ट्री इग्लिश पार्ट–1 5. संस्कृत पीयूषम कक्षा–3

बाल केन्द्रित शिक्षा

कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है तो कोई धीमी गति से अतः हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि सभी बच्चे एक साथ एक ही स्तर पर सीखें।

गतिविधि :–

प्रतिभागियों को बड़े घेरे में रखकर प्रशिक्षक उनके बीच ''इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,'' कहते हुए घूमेगा। अचानक किसी प्रतिभागी के सामने रूक कर कहेगा'' 'हजार' तो उस प्रतिभागी को तुरन्त यह स्थानीय मान वाली संख्या बोलनी होगी । जो प्रतिभागी तुरन्त यह संख्या नहीं बोल पायेगा उसे अब खेल संचालन करना होगा और प्रशिक्षक उसके स्थान पर खड़ा होगा । इस प्रकार खेल जारी रहेगा। (नोटः– यह गतिविधि स्थानीय मान सीखने के क्रम में बच्चों के बीच कराई जा सकती है)

उपरोक्त गतिविधि पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को बाल केन्द्रित शिक्षा से सम्बन्धित निम्न बातें बतायें :–

बाल केन्द्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों को केन्द्र बिन्दु मान कर दी जाती है। बच्चों की रूचियों व उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा को हम बाल शिक्षा केन्द्रित शिक्षा कह सकतें हैं । बाल केन्द्रित शिक्षा के अन्तगर्त यह माना जाता है। कि हर बच्चे में ज्ञान प्राप्त करने की असीमित क्षमता होती है । प्रत्येक बच्चा अपने आस–पास से काफी ज्ञान/जानकारी एवं अनुभव लिए हुए केन्द्र/विद्यालय पहुॅचता है और उसका यह पूर्व ज्ञान ही उसके सीखने की बुनियाद बनाता है ।

बाल केन्द्रित शिक्षा की विशेषताएँ

(I) बच्चे शैक्षिक आयोजन के मुख्य केन्द्र बिन्दु ।

(II) पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सिखाने की प्रक्रिया पर बल ।

(III) शिक्षक की भूमिका सहायक की/सुगमकर्ता की।

(IV) स्वयं सीखने की दक्षता का विकास।

(V) सर्वांगीण विकास पर बल।

(VI) करके सीखने पर बल ।

शिक्षण अभ्यास

प्रशिक्षण के दौरान अनुदेशकों को रोचक शिक्षण गतिविधियां एवं शिक्षण सामग्री बनाना सिखाया जाये। अनुदेशक इनके आधार पर पाठ योजना तैयार करके सिमुलेशन विधि से शिक्षण अभ्यास करे।

मूल्यांकन

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र, केन्द्र की व्यवस्था एवं उसके विभिन्न अंगें के दायित्व का प्रमाण शिक्षा की अन्तिम कसौटी, बच्चों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। केन्द्र की क्षमता एवं उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता के निर्धारण के लिए आवश्यक है एक सम्पूर्ण तथा व्यापक मूल्यांकन योजना के रूप में समेकित उपलब्धियों को जानने की।

मूल्यांकन का अर्थ

बच्चे किसी विषय एवं तथ्य को कितना सीख चुके हैं इसकी जानकारी कैसे हो पठन–पाठन की प्रक्रिया प्रभावी है या नहीं इसकी परख कैसे करें। सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, इसका पता कैसे करें। हम यह कैसे जान सकते हैं कि बच्चे किसी विषय वस्तु को कितना सीख चुके है तथा उनके साथ और क्या करने की आवश्यकता हैं?

उक्त बातों का पता करने या परखने के लिए हम तरीकों को अपनाते हैं वही मूल्यांकन है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता।

सीखने की प्रक्रिया

सीखने की प्रक्रिया के मुख्यरूप से तीन अंग है।

1. शिक्षण के उद्देश्य
2. सीखना–सिखाना
3. मूल्यांकन

सीखने की प्रक्रिया के तीनो अंगो का एक दूसरे से सम्बंध तथा एक दूसरे के पूरक हैं। मूल्यांकन के परिणामों पर पुनः विचार होता है जिससे बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ा या घटाया जाता हैं

मूल्यांकन का एक लक्ष्य भी होता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि शिक्षण के उद्देश्यों को भलीभांति जानना जरूरी है। वरना मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं होगा।

कैम्प के बच्चों का मूल्यांकन

कैम्प के बच्चों का मूल्यांकन हम तीन भागों में बाँट सकते है।

1. सतत मूल्यांकन
2. पाक्षिक मूल्यांकन
3. सत्र के अन्त में मूल्यांकन

1. सतत मूल्यांकन

सतत मूल्यांकन पठन–पाठन के साथ–साथ चलता है। सतत मूल्यांकन के आवश्यक परिणामों का रिकार्ड रखा जाता है। यह मूल्यांकन शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर दोनों पक्षों का होता है। विषयगत (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय आदि) शिक्षण के साथ–साथ तथा बाद में शिक्षक/अनुदेशक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसी के साथ–साथ बच्चों से सफाई, नियमितता, सहयोग आदि शिक्षणेत्तर गुणों के सम्बंध में मूल्यांकन किया जाता है। सतत मूल्यांकन की सहायता से, बच्चों की प्रगति की लगातार समीक्षा हो जाती है।

2. पाक्षिक मूल्यांकन

सतत मूल्यांकन में स्पष्ट किया गया है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी प्रकार पाक्षिक अर्थात 15 दिन में व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन किया जाये। पाक्षिक मूल्यांकन संज्ञानात्मक (विषयगत) तथा ज्ञानेत्तर क्षेत्र का किया जायेगा।

3. सत्र के अन्त में मूल्यांकन

अनावासीय ब्रिज कैम्प का सत्र दो माह का होगा तथा आवासीय ब्रिज कोर्स का 6 माह का होगा। सत्र के अंत में पाठ्यपुस्तकों के आधार पर बने परीक्षणों पर परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षण अध्यापक/अनुदेशक निर्मित होते हैं। प्रथम दो माह में कक्षा एक, द्वितीय दो माह में कक्षा–2 द्वितीय दो माह में कक्षा तीन की परीक्षा लेकर कैम्प की बच्चों को कक्षा 04

में दाखिल कराया जायेगा। दो माह के ब्रिज कोर्स के बाद कक्षा 2 या 3 में बच्चों की दक्षतानुसार नामांकन कराया जायेगा।

बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें ?

मूल्यांकन हमारी सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पढ़ते समय बच्चे गीत, कविताएं सीखते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, उनमें दिये गये निर्देशों के आधार पर कार्य करते हैं जैसे उत्तर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं या अन्य गतिविधियां करते हैं। इन सब बातों को पूछने पर वे कितना बता पाते हैं, किस तरह बता पाते है आदि का जानना बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन कहलाता है।

बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई प्रकार से किया जा सकता है जैसे–

- मूल्यांकन अलग–अलग या सामूहिक रूप से किया जा सकता है।
- मूल्यांकन मौखिक, गतिविधि करवाकर, गतिविधियों का अवलोकन करके या फिर लिखित रूप से किया जा सकता है।
- बच्चों को अपरिचित विषयवस्तु पढ़ने तथा पाठ्यक्रम से प्रश्न हल करवाकर भी किया जा सकता है।
- मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के कार्य पर, एक निश्चित अवधि के बाद, निश्चितपाठ पढ़ने के बाद सत्र के अन्त में या फिर पूरी पुस्तक समाप्त होने के बाद किया जा सकता है।

मोटे तौर पर मूल्यांकन के लिए इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जा सकती है–

1. **मौखिक प्रश्न पूछकर**

इससे बच्चों को सुनने, दोहराने, निर्देशों को समझने तथा उनके अनुसार कार्य करने की क्षमता जानी जा सकती है। बच्चों ने पाठ्यपुस्तक के कितने भाग को सीख लिया है, इसका मूल्यांकन मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर किया जा सकता है।

2. **पुस्तक पढ़वाकर**

इसमें देखा जाता है कि बच्चे या किसी अन्य लिखी हुई विषयवस्तु को सही–सही, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ पाते हैं या नहीं।

3. लिखवाकर

लिखित मूल्यांकन से बच्चों के शुद्ध लेखन, अपने विचारों को व्यक्त करने, प्रश्नों का उत्तर देने, गणित के प्रश्न हल करने, चित्र बनाने की क्षमताओं को देखा जा सकता है।

4. हाथ से काम करवाकर

बच्चों से हाथ से काम करवाकर जैसे काग़ज़ से, मिट्टी से, लकड़ी से, कपड़े से चीज़ें बनाने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

5. अवलोकन करके

बच्चों के खेलने कूदने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, व्यायाम करने के तरीके, भ्रमण के समय किसी वस्तु को बारीकी से देखने के तरीके, उनके व्यवहार के तरीके आदि से मूल्यांकन किया जा सकता है।

6. समझ का स्तर

यह मूल्यांकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों की विषयवस्तु के प्रति समझ की जानकारी से है। मूल्यांकन चाहे मौखिक हो या लिखित, यह पता करना है कि वे क्या शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं?, क्या वाक्यों में प्रयोग कर पाते हैं? कहानी या कविता का सार बता पाते हैं? गणित में इबारती प्रश्न हल कर सकते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन से बच्चों की विषयवस्तु की गहराई को जांचा जा सकता है।

7. बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर।

8. पाठ्य पुस्तकों के जांच पत्रको का उपयोग कर।

9. अनुदेशक द्वारा निर्मित जांच पत्रकों के प्रयोग द्वारा

यह ठीक है कि प्राथमिक स्तर पर कम से कम प्रथम दो कक्षाओं में औपचारिक परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन जरूरी है कि अनौपचारिक ढंग से किन्तु अत्यन्त सावधानी पूर्वक जांच कर ली जाय कि सभी बच्चे उन मूलभूत कौशल

बच्चों के सतत् मूल्यांकन का उदाहरण इस प्रकार से है जिसके आधार पर दिये गये निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

बच्चों का विषयगत सतत् मूल्यांकन

भाषा, गणित, हमारा परिवेश, ज्ञान–विज्ञान और हमारा समाज आदि में सतत् मूल्यांकन इस प्रकार अपनाया गया हैः–

भाषा (भाषा किरण)

- चित्रों पर बातचीत, जिसमें पहचान और प्रश्न को लिया जाता है। जैसे –

भाषा किरण –1, पृ0 6

- गांव में और क्या–क्या चीज़े देखने को मिलती हैं इससे सम्बन्धित प्रश्न
- बच्चों को बाग़ के चित्र का अवलोकन कराएं, उनसे दूर–पास, ऊँचा–नीचा, छोटा –बड़ा से सम्बंधित प्रश्न पूछें तथा चर्चा कराएं।

भाषा किरण –1, पृ0 6

- अभ्यास के रूप में प्रश्नउत्तर, पहचान कराना, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, अभिव्यक्ति तथा समस्या समाधान को अपनाया जाता है

भाषा किरण –3, पृ0 8

- वाक्यों में प्रयोग, वर्णो की पहचान, पढ़ना तथा विषय के अनुसार कविता आदि कहलवाना।

भाषा किरण –3, पृ0 11

- भाषा के पाठों में दिये निर्देशों से गतिविधियां कराई जाएँ। जैसे – भाषा किरण–3 पृ0 41, बच्चे पाठ का स्वयं अध्ययन करें। कक्षा में पाठ पर आधारित गतिविधियाँ कराएँ।
- भाषा की पुस्तक में आये शब्दों पर कार्य कराएं जायें जैसे– शब्दकोश, बोध प्रश्न, शब्दों का खेल, इसे भी जानो, भावबोध, अब करने की बारी, तुम्हारीकलम से, खोजबीन आदि का उपयोग किया जा सकता है।

अतः मूल्याकंन के लिए पाठ के नीचे के निर्देशों को भी अपनायें जाने की आवश्यकता है।

अनुदेशकों से

अनुदेशक प्रतिभागियों से उनकी मूल्यांकन सम्बंधी जिज्ञासाओं पर चर्चा करके, ब्रिज कैम्प के मूल्यांकन पर चर्चा की जाये।

ब्रिज कार्स कैम्प संचालन में ध्यान देने वाली बातें–

1. कैम्प का स्थान चयन

सबसे पहले कैम्प स्थान के चयन को देखना होगा। कैम्प क्या ऐसे स्थान पर हजहां प्रतिभागी बच्चे सुविधाजनक ढ़ंग से आ–जा सकते हैं। कैम्प का स्थान बच्चों के क्षेत्र का हो तो प्रभावी रहेगा।

2. अनुदेशक का चयन

अनुदेशक ब्रिज कैम्प का एक मात्र कर्ताधर्ता है। अतः उसका समय से चयन जरूरी है, जिससे वह पठन–पाठन प्रक्रिया को समय से आरम्भ कर सके।

3. बच्चों की नियमित उपस्थिति

बच्चे केन्द्र के लाभार्थी हैं। इन्हीं के लिए यह सभी व्यवस्था की जा रही हैं। यदि बहुत कम उपस्थिति होगी तो कैम्प संचालन में उत्साह नहीं होगा।

4. बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री

कैम्प पर बच्चों को निःशुल्क सामग्री एवुं स्वल्पाहार मिलता है।यह देखना होगा कि बच्चों के पास सामग्री पहुँची है या नहीं तथा निर्देशानुसार गुणवत्तापरक स्वल्पाहार मिल रहा है अथवा नहीं।

5. कैम्प का अवलोकन

कैम्प की स्थिति का अध्ययन, कैम्प के अवलोकन से हो सकता है। कैम्प संचालन की स्थिति को देखकर, कैम्प की विशेषता का पता चल सकता है।

6. अनुदेशक की डायरी

अनुदेशक डायरी अनुदेशक के पिछले दैनिक क्रियाकलापों का विवरण है। अनुदेशक द्वारा किये गये कार्यो का उल्लेख कैम्प की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं।

7. बच्चों को अगले स्तर पर जाने अथवा मुख्यधारा से जुड़ने की स्थिति की जानकारी

ब्रिज कैम्प का प्रमुख उद्देश्य है कि कैम्प के बच्चे 6 माह बाद कक्षा–4 में जायें तथा शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ें। इससे कैम्प तथा अनुदेशक दोनों का मूल्यांकन हो जायेगा।

8. समुदाय से सम्पर्क

कैम्प के प्रभावी संचालन के लिए समुदाय का सहयोग आवश्यक है। इसलिएकेन्द्र चयन, केन्द्र की व्यवस्था अन्य प्रकार से सहयोग के लिए समुदाय से बातचीत करके पता चल सकता है।

9. कैम्प के बच्चों से जानकारी

अनुदेशक और कैम्प के विषय में हमें बहुत सी जानकारी, कैम्प पर आने वाले बच्चों से मिलती है। इससे भी केन्द्र के विषय में जानकारी मिल सकतीहै।

10. निरीक्षण संवर्ग से

कैम्प के विषय में बहुत सी जानकारी विशेष रूप से एन.पी.आर.सी समन्वयक से मिलती है। बी.आर.सी समन्वयकों तथा डायट के संकाय सदस्यों से मिल जाती है।

11. कैम्प के रिकार्ड तथा सामग्री का अवलोकन

कैम्प का मूल्यांकन, वहां पर उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री तथा आवश्यक रिकार्डो के अवलोकन से किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देंखे तो पायेंगे कि ब्रिज कैम्प व्यवस्था के प्रभावी पक्ष देखने के लिए बच्चों का मूल्यांकन तथा व्यवस्था का मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक है।

पाठ्य पुस्तकों में मूल्यांकन के लिये विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था की गई है। सत्त मूल्यांकन की सहायता से हम बच्चों की कमज़ोरियों को दूर करते हुये चल सकते हैं।

कुछ आवश्यक बातें

उपरोक्त के अलावा निम्नवत् बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा इसकी चर्चा उन्मुखीकरण कार्यशाला में भी करें।

1. एक न्याय पंचायत प्रभारी के दायित्व

ब्रिज कैम्प के सफल संचालन हेतु न्याय पंचायत प्रभारी निम्न कार्य हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होगें–

- ब्रिज कैम्प का नियोजन कर संचालन सुनिश्चित करना।
- अभिभावक संघों के प्रति सप्ताह में एक दिन बैठक बुलाना एवं बैठक में स्वयं उपस्थित रहना।
- कैम्प में सामग्री एवं खाद्यान्न का शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करना।
- कैम्प का नियमित भ्रमण कर कक्षा शिक्षण में अनुदेशक को सुगमकर्ता के रूप में सहयोग करना।
- बच्चों के सम्प्राप्ति के स्तर की प्रत्येक सप्ताह जांच करना (टेस्ट के द्वारा)
- कठिन स्थलों पर अनुदेशक की सहायता करना।
- बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करना
- समुदाय विद्यालय एवं ब्रिज कैम्प के बीच में आपसी समन्वय विकसित करना
- कैम्प द्वारा आयोजित समस्त आयाजनों में प्रतिभाग करना।
- कैम्प का दस्तावेजीकरण करना।
- कैम्प की नियमित रिपोर्ट बी0आर0सी0 समन्वयक को भेजना

2. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के दायित्व

सम्बन्धित विद्यालय के मास्टर निम्नवत् कार्य हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

1. बच्चों को चिन्हित करना
2. कैम्प का नियोजन
3. कैम्प संचालन हेतु समुदाय के सहयोग से स्थल निर्धारण
4. समुदाय की बैठक कर कैम्प संचालन हेतु वातावरण सृजन
5. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कर अनुदेशक एवं कुक का चयन
6. कैम्प संचालन से एक सप्ताह पूर्व रैली प्रभात फेरी दीवार लेखन एवं बैठक कर प्रचार–प्रसार करना।
7. कैम्प का विधिवत् संचालन कराना (उद्घाटन समारोह द्वारा)

8. परियोजना द्वारा कैम्प को दी जाने वाली समस्त सामग्री यथा अधिगम सामग्री (स्लेट, पेंसिल, रबर, कॉपी, किताबें, कक्षा 1 से 3 तक), सहायक सामग्री तथा बोर्ड चॉक, डस्टर टीचिंग लर्निंग मैटेरियल एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करना। उक्त सामग्री स्थानीय बाज़ार से क्रय की जाए।
9. अभिभावक शिक्षक संघ की नियमित बैठक करना तथा बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना।
10. नियमित उपस्थिति एवं ठहराव के लिए सप्ताह में एक दिन ठहराव परिक्रमा करवाना।
11. कैम्प का नियमित निरीक्षण करना एवं अनुदेशक को पठन–पाठन में आ रही समस्या का समाधान करना।
12. कैम्प के बच्चों हेतु समुदाय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से ड्रेस की व्यवस्था करना।
13. कैम्प समाप्त के उपराप्त बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

3. अनुदेशक के कार्य एवं दायित्व

प्रतिदिन कैम्प की छुट्टी करने के पश्चात जन सम्पर्क करना।

अभिभावकों की सप्ताह में एक बार बैठक कर कैम्प की उपलब्धियों एवं संचालन में आ रही समस्या पर चर्चा करना तथा रजिस्टर में प्रत्येक बैठक का रिकार्ड लिखना।

प्रतिदिन की पाठ योजना तैयार करना

कठिन स्थलों को चिन्हित कर अध्यापक, एन0पी0आर0सी0 से मार्गदर्शन प्राप्त करना

प्रतिदिन रैली, प्रभात फेरी करके वातावरण सृजन करना।

यह सुनिश्चित करना कि बच्चे साफ सुथरें हो, नाखून आदि कटे हों तथा साफ सफाई की प्रत्येक बच्चे की नियमित जांच करना।

समुदाय के किसी एक प्रतिनिधि को प्रतिदिन कैम्प में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित कर कहानी, गीत आदि सुनवाना तथा उसका दस्तावेज़ीकरण करना।

प्रत्येक शनिवार को बाल सभा करना जिसमें समुदाय के लोगों को आमंत्रित करना।

प्रत्येक केन्द्र पर सप्लीमेंन्ट्री मैटेरियल के रूप में निम्न सामग्री दी जा सकती है।
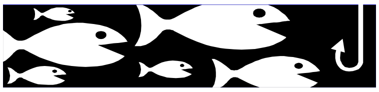
1. शिक्षक सन्दर्शिका
2. इन्द्रधनुष
3. किलकारी
4. अन्य कहानी गीत, कविता आदि की किताबें
5. बच्चों की सहायता से बाल अखबार का निर्माण करना
6. बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु समुदाय से पुस्तके एकत्र कर बच्चों के सहयोग से पुस्तकालय की स्थापना करना एवं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना।